

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक/राज0/प्र0रा0/235/2019

दिनांक 02/11/2019

प्रेषित

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उपनाम

1 कल्याण पिता लातु मीणा निवासी फुटवाड (श्यामपुरा) तहसील माण्डलगढ।

—प्राथीगण

बनाम


- 1 मधुरालाल पिता देवीलाल खटीक निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ।
- 2 छीतर पिता भजा बलाई निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ।
- 3 मोतीलाल पिता मोहन खटीक निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ।
- 4 बशीलाल पिता भजा खटीक निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ।
- 5 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

—अप्राथीगण

प्राथीगण पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत अन्यायिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम श्यामपुरा प.ह. श्यामपुरा की सरहद में स्थित खाता संख्या 37 की आराजी संख्या 2483/1274 कित्ता 1 रकबा 02 बीघा भूमि बसामालगत पट्टीसीमान के पत्थरगढी की जावे। प्राथी कमिश्नर कीस 500/- रुपये मीके पर वक्त पत्थरगढी अदा करे। मीके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे।

पत्थरगढी कर चालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।


उत्तराह सोभरी(आई ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

